Title: Need to review the norms of the National Crop Insurance Policy with a view to protect the interests of farmers -Laid.

श्री रघुवीर सिंह कौशल (कोटा) : अध्यक्ष महोदय, राट्रीय कृि फसल बीमा अव्यवहारिक सिद्ध हो रही है। फसल बीमा के तय नियमों एवं प्रक्रिया में पूरी तहसील की फसल नट होने पर उसका सर्वे होगा व हानि की भरपाई होगी। बीमा अधिकारी कहते हैं कि हमने तहसील को एक इकाई मानकर बीमा किया है। व्यक्तिगत रूप से किसान इसका लाभ नहीं उठा सकता।

मैं, स्वयं एक किसान हूं और यह अच्छी तरह जानता हूं कि पूरी तहसील की फसल तो क्या एक गांव की पूरी फसल भी एक साथ नट नहीं होती। उदाहरण के तौर पर ओलों का, पाले का नुकसान एक ही गांव के कुछ क्षेत्रों में होता और कुछ में नहीं होता। रोग, कीट प्रकोप या खराब बीज से फसल न उगना, जैसी समस्यायें पूरी तहसील में एक साथ, सारी फसल चौपट करे, ऐसा नहीं होता। इसी तरह नदी-नालों की बाढ़ भी बहाव क्षेत्र की फसल नट करते हैं, इसलिए तहसील को इकाई मानकर फसल बीमा के जोखिम को आंकना निहायत ही अव्यवहारिक होगा।

फसल बीमा के कारण ऋण लेने वाले किसानों के समक्ष गंभीर समस्या उत्पन्न हो गयी। ऋण प्रदान करने वाले बैंक, ऋण में से प्रीमियम की राशि काट लेते हैं। यदि एक किसान दो संस्थाओं से ऋण लेता है तो दोनों संस्थाएं बीमा प्रीमियम की राशि काट लेते हैं। गैर-फसली ऋण पर भी बीमा प्रीमियत काट लिया जाता है। फसल बीमा में कुछ निश्चित फसलें ही शामिल हैं और प्रीमियम राशिओं का अलग श्रेणीवार है। बीमा कम्पनियां, किसानों के परामर्श व उसे रसीद दिये बिना ही बीमा राशि काट लेती है।